

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2002 (आषाढ 25, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पटल पर रखेंगे.

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्रीमती जमुनादेवी, उप मुख्यमंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्त जन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2000 से 31.3.2001) पटल पर रखेंगी.

(2) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) की धारा 24 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2001-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल, 2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-50-2000-सात-शा-6, दिनांक 15 मई, 2002 तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र, दिनांक 11 जून, 2002 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री नरेन्द्र नाहटा, कृषि एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री के.पी. सिंह, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरवा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

### 4. फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

### 5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

### 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

### 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गीर, डॉ. सीतासरन शर्मा, सबस्य, झाबुआ जिले की जोबट उप जेल से अनेक कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र बिरधरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सबस्य, सीहोर जिले के खाचरीद ग्राम पंचायत के सरपंच सहित उसके परिवार की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तात्कालिक वनी घोषणा.

9. राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन का वक्तव्य

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 को पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 105 (क्रमांक 7046) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. शासकीय विधि विधायक कार्य

(1) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 13 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 14 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

11. नियम 139 के अधीन अबिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र बिरधरे, नरोत्तम मिश्रा, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्यगण चर्चा उठावेंगे.

(2) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कमल पटेल, डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अजय विश्नीई, नरेन्द्र सिंह तोमर, नरेन्द्र बिरधरे, नरोत्तम मिश्रा, लक्ष्मीकांत शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंह, लक्ष्मणसिंह गौड़, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्यगण चर्चा उठावेंगे.

भोपाल, दिनांक : 15 जुलाई, 2002

डॉ. ए.के. पर्यासी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.